भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5040
31मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य अनुपूरक पदार्थ

5040. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को बाजार में बड़ी संख्या में बेचे जा रहे स्वास्थ्य पूरक पदार्थों के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इनके विनिर्माण और बिक्री प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य अनुपूरकों की जांच करने के लिए हाल ही में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य आयुक्तों को एक विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य आयुक्तों को इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य आयुक्तों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) मानव शरीर पर इन नकली खाद्य पदार्थों के हानिकारक प्रभाव के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006, नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का दायित्व है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को उपभोक्ताओं की शिकायतें/चिंताएं खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस), एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) और केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वर्ष 2022-23 (दिनांक 28.02.2023 तक) के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त समस्याएं/शिकायतें (स्वास्थ्य पूरक सामग्री के संबंध में शिकायतों सहित) निम्नानुसार हैं:

अवधि (वित्त वर्ष)	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
	एफओएससीओएस पोर्टल	आईएनजीआरएएम	सीपीजीआरएएमस
2022-23 (28.02.2023 तक)	3894	5885	937

उपभाक्ताओं से प्राप्त समस्याओं/शिकायतों को समाधान और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ)/नामित अधिकारी (डीओ) को सौंपा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ शिकायतों के उचित निपटान की निगरानी और समीक्षा की जाती है।

(ग) से (ङ) एफएसएसएआई ने दिनांक 07 मार्च, 2023 के आदेश के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और क्षेत्रीय निदेशकों को बाजार में बेचे जाने वाले ऐसे विभिन्न न्यूट्रास्युटिकल/हेल्थ सप्लीमेंट्स उत्पादों के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जाने के लिए निर्देश दिया है जो खाद्य सुरक्षा मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा खाद्य सुरक्षा और मानकों (स्वास्थ्य अनुपूरक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए भोजन, और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स) विनियम, 2022 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते।

(च) एफएससएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए भोजन, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड) विनियम, 2022 के माध्यम से स्वास्थ्य अनुपूरकों और न्यूट्रास्यूटिकल्स के मानक निर्धारित किए हैं।

*****